भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **710**
दिनांक 21 जुलाई , 2016 / 30 आषाढ़, 1938 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरलाइनों की रद्दकरण फीस

710. श्री दुष्यंत चैटाला:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी एयरलाइनों की अनियमित रद्दकरण फीस के बारे में चिंतित है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में तैयार की गई विमानन नीति में कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) से (ग): प्रचलित विनियम [वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 का उप नियम (1)] के प्रावधान के अंतर्गत, अनुसूचित हवाई सेवाओं में लगे प्रत्येक अनुसूचित हवाई परिवहन उपक्रम द्वारा सभी संबंधित कारकों, प्रचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, औचित्यपूर्ण लाभ और सामान्यत: प्रचलित टैरिफ, जिसमें पहले से बुक कराई गई हवाई टिकटों का रद्दकरण शुल्क भी शामिल है, को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित किया जाना अपेक्षित है। जहां तक एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले रद्दकरण प्रभार उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं, एयरलाइनें इन विनियमों की अनुपालक बनी रहती हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने "सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों के यात्रियों को एयरलाइन टिकट का रिफंड" पर नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), खंड-3, श्रृंखला एम, भाग-।। जारी की हैं। सीएआर में विनिर्दिष्ट किया गया है कि रद्दकरण के मामले में एयरलाइन द्वारा सांविधिक करों और प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)/एडीएफ/यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) का रिफंड किया जाएगा, रद्दकरण प्रभार मूल किराए जमा ईंधन अधिभार से अधिक नहीं होगा, एयरलाइन रिफंड की प्रक्रिया के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं वसूलेगी और रिफंड की प्रक्रिया 30 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी।

*****